

26/05/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष कारण उपस्थित।
उभय पक्ष कारण का सुना गया। पत्रावली
में उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों का अवलोकन
भवन किया। वारी का वाद/दावा चलने
योग्य नहीं होने के कारण वारी का वाद
खारिज किया जाता है। केस का सुलझापाव
में सुनाया गया। पत्रावली केसल सुमाटर होकर
देखी रफिक्टर न से कम होकर दाखिल दफ्तार
है।

उपरखण्ड अधिकारी
मौमर लेक

